शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 17 – 24 नवम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

आसान नहीं होगा कांग्रेस अध्यक्ष का सफर

शिमला/शैल। क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हाईकमान की अपेक्षाओं पर खरे उत्तर पाएंगे? क्या वह भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? क्या कांग्रेस को पुनः सत्ता की दहलीज तक पहुंचा पाएंगे? ऐसे अनेकों सवाल आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क तक खड़े हो गये हैं। क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष तलाश करने में एक वर्ष का समय पार्टी का लग गया है। जब एक वर्ष से लेकर ब्लॉक स्तर तक की सारी कार्यकारिणीयों को भंग कर दिया गया था तब हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की टीम संगठन के कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ताओं की तलाश के लिए भेजी थी। लेकिन इस टीम की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ। प्रदेश में संगठन की खराब हालत का दोष हर नेता ने सीधे हाईकमान के नाम लगाया परन्तु कोई असर नहीं हुआ। इस वस्तुस्थिति में यदि प्रदेश सरकार और संगठन के पिछले तीन वर्षो के रिश्तों तथा सरकार की उपलब्धियां पर नजर डालें तो यह सच्चाई सामने आती है कि सरकार के अब तक के कार्यकाल में हुए लोकसभा चुनाव में चारों सीटें पार्टी हार गयी और राज्यसभा हारने के साथ ही पार्टी के छः विधायक दलबदल कर गये। अब स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसी न किसी बहाने टाले जा रहे हैं। नगर निगम अधिनियम में संशोधन का असर यह हुआ है कि पार्षदों का एक बड़ा वर्ग विद्रोह के कगार पर पहुंच गया है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव में हिमाचल सरकार के

कुछ फैसले विशेष चर्चा का विषय रहे हैं। सरकार हर समय प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व की सरकार को लगातार दोष देती आ रही है। लेकिन आज तक पिछले सरकार के कार्यकाल में घटे भ्रष्टाचार का कोई भी मामला कायम नहीं कर पायी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता को दस गारंटियां देकर सत्ता में आयी थी। इन गारंटियों कि आज व्यवहारिक स्थिति क्या है इस पर सरकार के ब्यानी दावों के अतिरिक्त जमीन पर स्थिति पूरी तरह अलग है। पार्टी का कोई भी विधायक और कार्यकर्ता जमीनी सच्चाई पर कुछ भी खुलकर बोलने और सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जनता जो भुक्त भोगी है वह आगे – आगे पूरी तरह मुखर होती जायेगी। विपक्ष सरकार और व्यक्तिगत रूप से नेताओं के भ्रष्टाचार को निशाना बनायेगी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजनीति जिस मुकाम पर पहुंच चुकी उसका असर हर प्रदेश पर होगा। प्रदेश भाजपा को पार्टी के राष्ट्रीय निर्देशों पर सरकार को ठोस प्रमाणों के साथ घेरने की बाध्यता आ जायेगी भले ही आज तक भाजपा का अघोषित समर्थन सुक्खू सरकार को रहा है। लेकिन आने वाले समय में स्थितियां एकदम बदल जायेगी। इस परिदृश्य में पार्टी के नये अध्यक्ष के सामने भारी चुनौतियां होगी। सरकार और संगठन को व्यवस्था परिवर्तन के जुमले से बाहर निकलना होगा। स्व. विमल नेगी की मौत प्रकरण सरकार से जवाब मांगेगा यह तय है। प्रशासन में पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का सेवा विस्तार और फिर पुनर्नियुक्ति निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जनता में चर्चा का विषय बनेगा ही। क्योंकि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को मैनटेनेबल करार देकर गेंद राज्य सरकार के पाले में धकेल दी है। इन व्यवहारिक स्थितियों के परिदृश्य में अध्यक्ष का काम काफी चुनौती पूर्ण हो जायेगा।

केंद्र की योजनाओं में देरी पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर कारवाई के निर्देश:कश्यप

शिमला/शैल। जिला ''दिशा'' बैठक के उपरांत भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं के

क्रियान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दिशा बैठकों का उद्देश्य केंद्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलें निर्धारित समय में जनता तक पहुंच सकें।

सांसद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई-IV में 2200 करोड़ रुपये और पीएमजी एसवाई-II में 2600 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, लेकिन कई परियोजनाएं वर्षो से अधूरी पड़ी हैं। बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

पंचायती राज चुनाव टालने पर कश्यप ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट को बहाना बनाकर चुनाव प्रक्रिया रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्कूल, बस सेवाएं और सरकारी कार्यक्रम सामान्य रूप से जारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टालकर राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में है।

कांग्रेस के नये प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कश्यप ने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय काफी देर से लिया है, आगे परिस्थितियों पर नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे चार नए लेबर कोड से संगठित और असंगठित दोनों वर्गो के श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

राज्यपाल ने सुशासन को मजबूत करने में लेखा व ऑडिट संस्थानों की भूमिका रेखांकित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सुशासन की

विश्वसनीयता काफी हद तक लेखांकन और ऑडिट से जुड़े पेशेवरों की ईमानदारी, निष्पक्षता और सतर्कता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सतत वित्तीय निगरानी ही नीतियों को परिणामों में बदलती है और करदाताओं को वास्तविक लाभ प्रदान करती है।

राज्यपाल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय द्वारा आयोजित 'ऑडिट वीक 2025' के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय 'सुशासन और वित्तीय अनुशासन के लिए सहयोगात्मक प्रतिबद्धता' रखा गया है।

राज्यपाल ने कैग को लोकतंत्र का अनिवार्य स्तंभ बताते हुए कहा कि यह संस्था न केवल सार्वजनिक धन के सुरक्षित और वैध उपयोग को सुनिश्चित करती है, बल्कि जनकल्याण पर केंद्रित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा भी तय करती है। इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की नींव और सुदृढ़ होती है।

उन्होंने कहा कि ऑडिट वीक केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों पर आत्मचिंतन का अवसर है। तकनीकी सत्र और विचार-विमर्श भविष्य के लिए ऑडिट पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। शुक्ल ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में ऑडिट की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं की आपूर्ति, पर्यावरणीय जोखिम और प्राकृतिक आपदाएं प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ाती हैं।

राज्यपाल ने विभाग द्वारा डिजिटल वर्कफ्लो, हाइब्रिड ऑडिट मॉडल और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों अपनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिमला में राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी का स्थित होना गौरव की बात है।

इसके उपरांत राज्यपाल ने ऐतिहासिक गॉर्टन कैसल भवन का निरीक्षण किया तथा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखी।

समारोह में राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी के महानिदेशक एस. आलोक ने ऑडिट वीक के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया और बताया कि संस्थान जोखिम-आधारित एवं परिणाम-उन्मुख डिजिटल ऑडिट प्रणाली विकसित कर रहा है, जो सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समावेशन जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी केंद्रित होगी।

कार्यक्रम में महालेखा परीक्षक ऑडिट पुरुषोत्तम तिवारी, राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा, वरिष्ठ अधिकारी तथा विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। अकादमी की निदेशक पुष्पलता ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की पुष्पांजलि

राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को किया याद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की

जयंती पर उनके प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके राष्ट्र निर्माण में किए गए अद्वितीय योगदान को नमन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व और साहसिक निर्णयों ने भारत को विकास और आत्मनिर्भरता की मजबूत दिशा प्रदान की। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी का बलिदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उनके नेतृत्व में भारत ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत दिशा प्राप्त की।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन, हरीश जनारथा, मलेंद्र राजन, रणजीत सिंह राणा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल और अन्य गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद व नशामुक्त भारत अभियान का समापन

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित 'विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद एवं नशामुक्त भारत अभियान' के समापन समारोह

की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और क्षमता ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी और युवा राष्ट्र निर्माण के मुख्य वाहक हैं।

राज्यपाल ने युवाओं से नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना को अपनाने का आहवान किया तथा नशे से दूर रहने और दूसरों को बचाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी बाधित करता है, इसलिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी।

उन्होंने बताया कि नशामुक्त हिमाचल अभियान उच्च शैक्षणिक संस्थानों से शुरू होकर अब पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में योग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ, चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन तथा सरदार पटेल पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही कहानी, भाषण, चित्रकला और कविता प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियां साझा कीं। कार्यक्रम में विधायक अनिल शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

राजस्व विभाग की डिजिटल पहल से नागरिकों को लाभ 55,874 पेपरलेस रजिस्ट्री पूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर राजस्व विभाग द्वारा अपनाई गई डिजिटल प्रणाली के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। नई तकनीक से राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आई है और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है।

राजस्व प्रबंधन पोर्टल पर अब तक 1,16,490 मामलों में आदेश ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। वहीं, 'माई डीड' पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के तहत 55,874 रजिस्ट्रियां ऑनलाइन पूरी की गई है।

1 सितंबर 2025 से सभी राजस्व न्यायालय ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिनमें अब तक 5,940 मामले ई-फाइलिंग के माध्यम से दर्ज हुए हैं। अधिकारियों के लिए ई-रोजनामचा प्रणाली भी शुरू की गई है।

राज्य में सभी लैंड रिकॉर्ड मैप डिजिटाइज और जियो-रेफरेंस किए जा चुके हैं, जिससे भूमि मामलों में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल पहलों से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है तथा लोगों को घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं मिल रही हैं।

युवाओं के लिए 'डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना' शुरू

केवल 1% ब्याज दर पर 20 लाख तक शिक्षा ऋण उपलब्ध

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने युवाओं को उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना' शुरू की है। यह ब्याज सब्सिडी आधारित शिक्षा ऋण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद देना है।

उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र छात्र केवल 1: ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजी और पीएचडी सहित विभिन्न तकनीकी व व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए उपलब्ध है। योजना भारत और विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू होगी।

इस योजना का लाभ नए प्रवेश लेने वाले तथा पहले से अध्ययनरत दोनों प्रकार के छात्र उठा सकेंगे। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

योजना के लिए शिमला मॉल रोड स्थित यूको बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है। विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

29 नवम्बर को पासपोर्ट अदालत आयोजित

शिमला/शैल। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग द मॉल शिमला में 29 नवंबर 2025 शनिवार को प्रात: 9:30 बजे से 4:30 बजे तक पासपोर्ट अदालत आयोजित की जाएगी। कार्यालय के अनुसार, यह विशेष अदालत उन आवेदकों की सुविधा के लिए रखी गई है, जिनके पासपोर्ट आवेदन आपत्तियों या दस्तावेजों की कमी के कारण लंबित हैं।

आवेदक बिना पूर्व नियुक्ति वॉक-इन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे और उनकी समस्या का समाधान उसी दिन किया जाएगा। जिन आवेदकों की फाइलें आगे के दस्तावेजीकरण हेतु पासपोर्ट सेवा केंद्र शिमला में रोकी गई हैं, उन्हें भी आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

कार्यालय ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2025 तक प्राप्त आवेदनों के आवेदक यदि निर्धारित तिथि को दस्तावेजों सहित उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनसे संबंधित फाइलों को बंद कर दिया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालय ने सभी आवेदकों से समय पर पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने का आग्रह किया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान, अब तक 523 केस दर्ज

शिमला/शैल। अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रदेशभर में अभियान तेज कर दिया है। विभाग की विशेष टीमों द्वारा की जा रही छापेमारी के दौरान अप्रैल 2024 से अब तक कुल 54,945 लीटर अवैध शराब व लाहन जब्त की गई है। विभाग ने 523 मामले दर्ज किए हैं। यह जानकारी आबकारी आयुक्त यूनुस ने दी।

विभाग द्वारा अब तक 21,637.166 लीटर अवैध शराब तथा 33,308.900 लीटर लाहन जब्त की गई है। केवल अक्तूबर माह में दक्षिण क्षेत्र शिमला से 309.340 लीटर अवैध शराब व 12 लीटर लाहन, मध्य क्षेत्र मंडी से 2678.225 लीटर अवैध शराब व 14 लीटर लाहन, और उत्तरी क्षेत्र पालमपुर से 529.150 लीटर अवैध शराब व 4870 लीटर लाहन बरामद की गई।

इसके अतिरिक्त पुलिस जिला स्तर पर बद्दी से 286.09 लीटर अंग्रेजी शराब, कुल्लू से 2090.625 लीटर, मंडी से 528.350 लीटर और ऊना से 286.045 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है।

आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विशेष विभागीय टीमें गठित की गई हैं। प्रदेश में कुल 35 विशेष टीमें तैनात हैं:कुल्लू व चंबा में 4-4, शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, ऊना व नूरपुर पुलिस जिले में 3-3, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर व बीबीएन में 2-2 जबकि किन्नौर में 1 टीम कार्यरत है।

अक्तूबर माह में पुलिस जिला नूरपुर के डमटाल क्षेत्र के मिलवान, ठाकुरद्वारा, बरोटा, बेला लुडाचा और उलेहरियां में बड़ी मात्रा में गैर कानूनी शराब व कई चालू भट्टियां नष्ट की गयी।

आयुक्त यूनुस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब से संबंधित किसी भी सूचना को विभाग के दूरभाष 0177-2620426, व्हाट्सऐप नंबर 94183-31426, तथा जोनल समाहर्ता कार्यालयों से साझा करें, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

दून विधानसभा क्षेत्र को लोक निर्माण विभाग का नया मंडल, बद्दी में आधुनिक सुविधाओं की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र के लिए लोक निर्माण विभाग

पीडब्ल्यूडी का नया मंडल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने बद्दी नागरिक अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों तक बढ़ाने, एसडीएम कार्यालय निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये और खेल स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी। साथ ही बद्दी में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण तथा बद्दी, बरोटीवाला और चंडी के स्कूलों में अगले सत्र से सीबीएसई पाठयक्रम लागू करने की घोषणा की।

बद्दी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर राज्य संसाधनों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में लगभग 5,000 बीघा भूमि मात्र 1.12 करोड़ रुपये में उद्योगपतियों को आवंटित की गई तथा कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत स्टांप ड्यूटी माफ, सस्ती बिजली और मुफ़्त पानी की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना को स्वयं विकसित करेगी और इसी कारण केंद्र से प्राप्त 30 करोड़ रुपये वापस किए गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा का सोशल मीडिया सेल उन पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद किए और कमजोर वर्गो के हितों की रक्षा सुनिश्चित की।

स्थानीय विधायक चौधरी राम कुमार ने बताया कि 475 करोड़ रुपये के कार्य पहले से चल रहे हैं और 400 करोड़ की नई परियोजनाओं की घोषणाएं हुई हैं। उन्होंने 50 बिस्तरों वाले नए अस्पताल को बड़ी उपलब्धि बताया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, बावा हरदीप सहित कई जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

दून विधानसभा क्षेत्र में 383 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान

383 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 12 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 86 करोड़ की बद्दी साई रामशहर सड़क, 15.78 करोड़ के टयूबवेल, 10.64 करोड़ की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल बद्दी, तथा 3.15 करोड़ की लागत वाले सीएचसी बरोटीवाला भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बद्दी शिक्षा खंड के हरिपुर संडोली, सूरज माजरा, लबाना और चक्कां में बनाए गए नए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का भी लोकार्पण किया।

उन्होंने 73.21 करोड़ रुपये की विद्युत आपूर्ति योजना बद्दी, 63.73 करोड़ की बद्दी शीतलपुरॉजगातखाना सड़क, 40 करोड़ के आईएसबीटी बद्दी, 37.67 करोड़ के मिनी सचिवालय बद्दी, 37.10 करोड़ की सीवरेज योजना तथा 5 करोड़ की लागत से कल्याणपुर में बनने वाले राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी।

नशे के खिलाफ लड़ाई में युवा,महिलाएं और वृद्धजन आगे आयें:डॉ.शांडिल

शिमला/शैल। नशा मुक्त भारत अभियान के पांच वर्ष पूर्ण होने

पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशे के विरुद्ध शपथ दिलाते हुए उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में युवा, महिलाएं और वृद्धजन ध्वजवाहक बनें और सामूहिक प्रयास ही इस चुनौती का समाधान हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक-2025 और हिमाचल प्रदेश ड्रग्स एवं नियंत्रण पदार्थ रोकथाम, नशामुक्ति और पुनर्वास विधेयक-2025 पारित कर चुकी है, जिसके तहत मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और अवैध संपत्ति कुर्की का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पुनर्वास और निवारक शिक्षा के लिए राज्य कोष भी बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को जनता का व्यापक समर्थन मिला है और यदि समाज एकजुट होकर प्रयास करे तो नशा मुक्त हिमाचल और नशा मुक्त भारत का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।

कार्यक्रम में वृद्धजनों और विद्यार्थियों के बीच संवाद, कविता पाठ और लघु नाटिका का आयोजन किया गया। कई वरिष्ठ अधिकारी, महिला समूह, छात्र तथा स्वयंसेवी संगठन उपस्थित रहे।

धर्म व मानवता की रक्षा के प्रतीक हैं गुरु तेग बहादुर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्री आनंदपुर

साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में भाग लिया और गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने आस्था, मानवता और सत्य की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि सभी धर्मो व पंथों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध उनका अदम्य साहस समूचे मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं आपसी सम्मान, भाईचारे और सहिष्णुता के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। उनका जीवन 'विविधता में एकता' और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आज जब समाज में शांति, सद्भाव और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पहले से अधिक है, तब गुरु जी की विरासत विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है।

कार्यक्रम में विधायक हरदीप सिंह बावा, विवेक शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

एनएच-154ए पर संवेदनशील तटबंधों की मरम्मत के लिए 93.55 करोड़ स्वीकृत : विक्रमादित्य सिंह

बार-बार होने वाले भूस्खलन और कटाव से सुरक्षा के लिए केंद्र से मिली मंजूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे-154ए के संवेदनशील स्थानों पर तटबंधों की विशेष मरम्मत हेतु 93.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान बार-बार नुकसान झेलने वाले इस मार्ग पर भूस्खलन, कटाव और सड़क धंसने की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार लगातार केंद्र से मामले को उठा रही थी। चंबा जिला में मानसून आपदा के बाद हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर प्रस्ताव प्राथमिकता के साथ केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसके बाद केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

यह परियोजना चक्की-बनीखेत-चंबा-भरमौर सड़क मार्ग के संवेदनशील तटबंधों की विशेष मरम्मत से संबंधित है। मंत्री ने बताया कि कार्य योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 30 प्रतिशत निर्माण, 2026-27 में संपूर्ण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि 2031-32 तक नियमित रखरखाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन पूरी सावधानी के साथ किया जायेगा ताकि अनावश्यक विलंब और लागत वृद्धि से बचा जा सके।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एनएच-154ए पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। तटबंधों की मजबूती से भारी बारिश के दौरान सड़क बंद होने और दुर्घटनाओं की घटनाएं भी कम होंगी। निरंतर धंसने से प्रभावित यह मार्ग आवश्यक सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता रहा है।

उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए शिमला में तैनात मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी को आहरण व वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया है, और सभी कार्य सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अन्य संवेदनशील राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए भी इसी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेगी।

राजस्व लोक अदालत में 4,62,590 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। राज्य सरकार की प्रमुख पहल 'राजस्व लोक अदालत' के माध्यम से अक्तूबर 2023 से अक्तूबर 2025 तक कुल 4,62,590 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता के अनुसार निपटारे किए गए मामलों में 3,85,634 इंतकाल, 24,044 तकसीम, 42,123 निशानदेही और 11,789 राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से भूमि मालिकों को वर्षो से लंबित मामलों से राहत मिली है और जमीन से जुड़े विवादों व रिकॉर्ड सुधार में तेजी आयी है।

उन्होंने बताया कि 'राजस्व लोक अदालत' अब हर माह के अंतिम दो दिनों में उप-तहसील एवं तहसील स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही है, जिससे लोगों को राजस्व मामलों के समाधान के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। बड़ी संख्या में लोग इस मंच का उपयोग कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राजस्व विभाग में कई सुधार लागू किये गये हैं, जिससे कार्यक्षमता बढ़ी है और पुरानी लंबित फाइलों का मिशन मोड में निस्तारण किया जा रहा है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि नागरिकों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाई जायें।

उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों का समय एवं धन दोनों की बचत हुई है और उन्हें अनावश्यक दौड़भाग से मुक्ति मिली है। राज्य सरकार राजस्व मामलों के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि आम जनता को वास्तविक राहत मिल सके।

मैं मानता हूं कि एक समय में नेतृत्व का मतलब ताकत होता था, लेकिन आज इसका मतलब लोगों के साथ मिलजुलकर रहना है। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

एस आई आर पर उठते सवाल

बिहार में जब एस आई आर चल रहा था तब इस पर उठते सवालों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस पर अन्तिम फैसला नहीं दे पाया था। मामले को बिहार चुनावों के बाद सुनवाई के लिये रख लिया गया। लेकिन इन्हीं चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने एस आई आर को देश के बारह राज्यों में करवाये जाने का ऐलान कर दिया और वहां पर इसका काम शुरू भी हो चुका है। परन्तु इसी बीच जो परिणाम बिहार चुनाव के आये हैं उसमें एस आई आर पर सवाल उठाने वाले महागठबंधन को शर्मनाक हार और एनडीए को प्रचण्ड बहुमत हासिल हुआ है। परन्तु इन चुनाव परिणाम का अध्ययन करने के बाद अधिकांश सीटों पर हार जीत के अन्तर से वहां पर एस आई आर में कांटे गये वोटरों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इससे अनायास ही यह सन्देश चला गया कि एस आई आर की प्रक्रिया में सत्ता पक्ष के विरोधियों के ही वोट काटे जा रहे हैं।

इस पर एस आई आर के खिलाफ एक बड़ा विरोध खड़ा हो गया है। एस आई आर को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने की मांग उठ गयी है। इसी मांग के साथ एस आई आर के काम में लगे बी एल ओ पर अत्याधिक दबाव और तनाव आ गया है। इसके कारण कई स्थानों पर बी एल ओज द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने के समाचार भी आ गये हैं। यह भी समाचार आया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा और संघ के कार्यकर्ता भी बी एल ओज की सूची में शामिल है । एस आई आर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कई शिकायतें भी दायर हो चुकी हैं। ऐसी संभावना है कि यदि इन शिकायतों पर समय रहते पूरी निष्पक्षता के साथ सुनवाई नहीं हुई तो यह राजनीतिक दल चुनावों तक का बहिष्कार कर सकते हैं। क्योंकि जब चुनाव निष्पक्षता से होने ही नहीं है तो उनमें भागीदारी से कोई लाभ नहीं हो सकता। ऐसे में देश की जनता के सामने इस सच को पूरी नग्नता के साथ रखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

अब जब बिहार चुनावों के लगभग एक तरफा परिणाम आने के बाद ही चुनाव आयोग पर उठते सवाल शान्त नहीं हुये हैं तब देश के दो सौ सतर पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों और वरिष्ठ नौकर शाहों ने राहुल गांधी के नाम खुला पत्र जारी करके उसकी मंशा पर सवाल उठाते हुये उसके आरोपों को चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। तब पूरा देश इन लोगों की निष्ठाओं पर सवाल उठाने लग गया है। यह आरोप लग रहा है कि यह लोग किसी न किसी रूप में इस सरकार के विशेष लाभार्थी रहे हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल के आरोपों की जांच के लिये एक एसआईटी गठित किये जाने की मांग की गयी थी और शीर्ष अदालत ने इस मांग को अस्वीकार करते हुये इस मुद्दे को उसी चुनाव आयोग के पास उठाने की राय दी थी जिसके खिलाफ यह आरोप थे। तब यह बुद्धिजीवी लोग क्यों सामने नहीं आये थे? कोई भी यह नहीं कह पाया कि यह सवाल गलत है। आज बिहार के चुनाव परिणामों ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। पूरे देश में आयोग की नीयत और एस आई आर पर जो सन्देह आम आदमी के मन में घर कर गया है उसे दूर करने के लिये चुनाव आयोग और शीर्ष न्यायालय को उस संदेह को दूर करने के लिए कुछ ठोस व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद ही लोगों का विश्वास है और जब यह विश्वास ही प्रश्नित हो जाये तो फिर लोकतंत्र का बचना कठिन हो जायेगा। यह देश बहुधर्मी और बहुभाषी है। इसमें एक धर्म को दूसरे से छोटा बात कर आचरण नहीं किया जा सकता। मुस्लिम समुदाय इस देश का अभिन्न हिस्सा है उसे मानने वालों को दूसरे से छोटा आंकना देश के लिये घातक होगा। देश में एक धर्म को दूसरे के विरोध में खड़ा करके देश को नहीं चलाया जा सकता। पिछले कुछ अरसे से सुनियोजित तरीके से धर्म के आधार पर भेदभाव चल रहा है और देश की जनता अब इसे समझने भी लग पड़ी है। इसलिये लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिये इसमें संवैधानिक संस्थाओं को अपना आचरण व्यवहारिक रूप से सुधारना होगा। यदि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को प्रमाणित नहीं कर सकता तो फिर जन आन्दोलन को रोकना असंभव हो जायेगा। इस निष्पक्षता के लिये एस आई आर की प्रक्रिया पर समय रहते बदलाव न किये गये तो परिणाम बहुत अराजक हो जाएंगे यह तय हैं।

मुसलमान ही नहीं गैर मुसलमानों को भी हिजरत और जिहाद, तसल्ली से समझना होगा

गौतम चौधरी

जिस प्रकार अरबी भाषा के बिदत शब्द को आज विवादस्पत बना दिया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस्लाम के दो पाक शब्द– ''हिजरत और जिहाद'' को भी विवादों के कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। आज के अस्थिर समय में, जब धार्मिक भाषा का उपयोग राजनीतिक या हिंसक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, ऐसे में हिजरत (ईश्वर की खातिर प्रवास) और जिहाद (अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध) जैसे पवित्र इस्लामिक शब्द व सिद्धांतों को सबसे ज्यादा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चरमपंथी संगठनों, विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट ने इन पवित्र शब्दों को हथियार बना लिया है, इनकी आध्यात्मिक और कानूनी वास्तविकता को बिगाड़ कर, रक्तपात को वैध ठहराने और दुनियाभर के भोले-भले धर्मानुयायियों को अपनी ओर खींचने के लिए इस्तेमाल किया है।

सच पूछिए तो हिजरत की गलत व्याख्या मुसलमानों के साथ किया जा रहा सबसे बड़ा धोखा है। इस्लामी शरीअत में हिजरत का अर्थ है – एक ऐसे देश से इस्लामी देश की ओर प्रव्रजन यानी प्रवासन करना है, जहां धार्मिक रूप से दबाव हो या इस्लाम का पालन करना संभव न हो।

इस मामले में इस्लाम के विभिन्न फिरकों के विद्वानों में मतभेद तो है लेकिन सारे विद्वान इस विषय पर एकमत हैं कि जिस राजनीतिक सीमा में इस्लाम के खिलाफ माहौल है वहां से निकल कर इस्लाम के आदर्शो के पालन की छूट हो वहां जाना सचमुच का हिजरत है। हिजरत के बारे में बरेलवी फिरके के महान विद्वान स्व. करिमुला खान साहब के बड़े बेटे मुफ्ती तुफैल खान कादिरी साहब फरमाते हैं, ''इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में अल्लाह कहता है – 'और जो कोई अल्लाह के लिए हिजरत करेगा, वह धरती पर बहुत-सी जगहें और समृद्धि पाएगा.' (अन-निसा: 100) लेकिन हिजरत के नए व्याख्याकारों में से आज जो लोग अपने घरों को छोड़कर इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों में शामिल होने के लिए अपने मूल बतन को छोड़े, वे न तो किसी धार्मिक अत्याचार के शिकार थे और न ही वे काफ़िर देशों से पलायन कर रहे थे। उलट जिस देश से वे इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने गए उसमें से अधिकांश तो धार्मिक मान्यताओं और नियमों के आधार पर घोषित रूप से इस्लामिक हैं। कादिरी साहब बताते हैं कि ऐसे लोगों को मुहाजिर कहना शरीअत की गंभीर अवहेलना है।''

कादिरी साहब एक कदम और बढ़ते हैं और कहते हैं, ''यह कहना कि ये वही लोग हैं, जिनके बारे में कुरान में कहा गया है-'वास्तव में जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वही लोग अल्लाह की रहमत की आशा रखते हैं... (अल-बकरा: 218), यह इन आयतों का गलत इस्तेमाल है। ये आयतें पैगंबर मुहम्मद के उन साथियों के बारे में थीं जो सच्चे दिल से अल्लाह की राह में त्याग कर चुके थे। चरमपंथी खुद को ही सच्चा मुसलमान बताते हैं और दूसरों पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। लेकिन कुरान साफ कहता है, ''तो अपने आपको पाक बताने (शेखी बघारने) की कोशिश न करो। अल्लाह भली-भांति जानता है कि कौन उसका डर रखता है।''(अन-नं 32)

इसी तरह जिहाद को लेकर भी कई प्रकार की गलतफहमी फैलाई गई है। कादिरी साहब बताते हैं कि कुछ गुटों का दावा है कि जिहाद हर मुसलमान पर हर समय फ़र्ज़ अईन (व्यक्तिगत दायित्व) है, जबकि असल में जिहाद केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत दायित्व बनता है, जैसे-दुश्मन द्वारा मुस्लिम भूमि पर आक्रमण या शरीअत-सम्मत नेता द्वारा जंगी आदेश। वरना यह एक सामूहिक दायित्व (फ़र्ज़ किफ़ाया) होता है। जैसा कि कुरान कहता है, ''यह आवश्यक नहीं कि सारे ईमानवाले एक साथ (युद्ध के लिए) निकल खड़े हों...'' (अत-तौबा: 122)। सबसे चिंता की बात यह है कि इस्लामिक स्टेट या बोको हरम जैसे संगठनों के द्वारा विदेशी लड़ाकों को जानबूझकर लक्ष्य बनाया जाता है। उन्हें स्थानीय लोगों से अलग रखा जाता है। गलत जानकारी दी जाती है और कई बार आत्मघाती हमलों के लिए मजबूर किया जाता है।

सच बताएं तो अब वक्त आ गया है कि मुसलमान इन पवित्र शब्दों को केवल और केवल धार्मिक मायने में ही समझने कोशिश करें। उन्हें यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इस्लाम के मान्यता-प्राप्त मौलवियों से संपर्क करें। हमारे देश में कई फिरके के मुसलमान रहते हैं और लगभग सभी फिरकों में जानकार भरे पड़े हैं। इस बात की तसल्ली से व्याख्या करने में देवबंदी फिरके के जानकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मामले में गैर मुसलमानों को भी संयम रखने की जरूरत है। वे कम से कम सोशल मीडिया के प्रचार से परहेज करें। इस प्रकार के लगभग सभी प्रचार हमारे पड़ी मुल्क के द्वारा प्रायोजित होता है। यदि सही जानकारी चाहिए तो प्रमाणिक धर्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें या फिर विद्वान मौलवियों से शंका का समाधान करें।

कुल मिलाकर हिजरत, एक आध्यात्मिक यात्रा है, अव्यवस्था और खून-खराबे की नहीं। जिहाद, न्याय और रक्षा का प्रयास है, हिंसक संघर्ष का नहीं। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ, कुरान और सही इस्लामी परंपरा हमारे आधुनिक समाज को संतुलन, दया और स्पष्ट मार्गदर्शन की ओर प्रेरित करता है। इसमें मुसलमानों की तो भलाई है ही, गैर मुसलमानों का भी भला होगा। खासकर मुसलमानों को इन्हीं शिक्षाओं पर लौटकर इस्लाम की वास्तविक छवि को बहाल करना चाहिए न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चरमपंथ का सहारा लेने वालों का समर्थन करना चाहिए।

दुनिया में जलवायु शरणार्थियों की बढ़ती चुनौती, चरम मौसम से तेज़ हुआ आपदा – जनित प्रवासन

राजन कुमार शर्मा

जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय क्षरण और चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ा रहा है, जिससे लाखों लोग सीमाओं के भीतर और सीमाओं के पार जाने को मजबूर हो रहे हैं। ये लोग, जिन्हें अक्सर जलवायु शरणार्थी कहा जाता है, एक अनिश्चित कानूनी और राजनीतिक स्थिति में हैं, क्योंकि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून विस्थापन के पर्यावरणीय कारणों को मान्यता नहीं देता है। जलवायु गतिशीलता केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार, विकास, सुरक्षा और वैश्विक न्याय से जुड़ी एक बहुआयामी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक प्रवासन पैटर्न को तेजी से नया रूप दे रहा है। बाढ़, तूफ़ान और जंगल की आग जैसी अचानक आने वाली आपदाएँ, साथ ही समुद्र-स्तर में वृद्धि, मरुस्थलीकरण और दीर्घकालिक सूखे जैसी धीमी गति से शुरू होने वाली प्रक्रियाएं, अभूतपूर्व संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। सार्वजनिक चर्चा में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने के बावजूद, जलवायु शरणार्थी शब्द को औपचारिक कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिससे पर्यावरणीय रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राजनीतिक शरणार्थियों को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से वंचित रहना पड़ता है। जैसे-जैसे जलवायु संबंधी खतरे बढ़ते जा रहे हैं, आपदा-जनित प्रवासन को समझना नीति निर्माताओं, मानवीय एजेंसियों और दुनिया भर की सरकारों के लिए आवश्यक हो गया है। जलवायु शरणार्थी जिन्हें अक्सर आपदा-प्रेरित प्रवासी कहा जाता है। वे लोग होते हैं जिन्हें पर्यावरणीय परिवर्तनों या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये प्रवास अस्थायी या स्थायी, आंतरिक या सीमा पार हो सकते हैं। जलवायु शरणार्थी शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून में इसे मान्यता नहीं दी गई है, जिसका अर्थ है कि इन व्यक्तियों को राजनीतिक शरणार्थियों के समान सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है।

1. जलवायु-प्रेरित प्रवास के कारक

1. अचानक शुरू होने वाली आपदाएं

अचानक शुरू होने वाली जलवायु घटनाएं तत्काल, बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनती हैं। वर्तमान में, बाढ़ के कारण दुनिया भर में सबसे अधिक आपदा विस्थापन होते हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नियमित रूप से लाखों लोगों को विस्थापित करते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में जंगल की आग और तूफान समुदायों को अस्त-व्यस्त कर देते हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। चूंकि ये घटनाएँ अक्सर आवास और आवश्यक सेवाओं को नष्ट कर देती हैं, इसलिए विस्थापित आबादी लंबे समय तक बेघर रह सकती है।

2. धीमी शुरुआत वाले पर्यावरणीय परिवर्तन दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षरण क्रमिक, कभी-कभी स्थायी, प्रवास को बढ़ावा देता है। समुद्र-स्तर में वृद्धि निचले तटीय क्षेत्रों और किरिबाती तथा तुवालु जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए खतरा है, जहां मीठे पानी की आपूर्ति का लवणीकरण और भूमि कटाव रहने योग्य वातावरण को प्रभावित करते हैं। मरुस्थलीकरण और लगातार सूखा साहेल, दक्षिण एशिया और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में कृषि आजीविका को कमजोर कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण-शहरी प्रवास और कुछ मामलों में सीमा पार प्रवास को बढ़ावा मिल रहा है। धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों का परिमाणन करना अधिक कठिन है, लेकिन ये जलवायु गतिशीलता के एक प्रमुख दीर्घकालिक चालक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.परस्पर क्रियाशील सामाजिक और आर्थिक कारक: पर्यावरणीय दबाव शायद ही कभी अकेले कार्य करते हैं। गरीबी, कमजोर शासन, संघर्ष और सीमित बुनियादी ढांचे से संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, सूखे ने सीरिया में कृषि पतन और ग्रामीण-शहरी विस्थापन को तीव्र करके प्रवासन और अस्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन एक खतरे को बढ़ाने वाले कारक के रूप में कार्य करता है, जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक तनावों को और बढ़ा देता है।

वैश्विक पैटर्न और क्षेत्रीय प्रभाव

3.आंतरिक विस्थापन का बोलबाला: जलवायु-प्रेरित प्रवास का अधिकांश भाग आंतरिक है, अर्थात विस्थापित लोग अपने देश में ही रहते हैं। शहरी केंद्र अक्सर गंतव्य के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आवास, परिवहन और सामाजिक सेवाओं पर दबाव पड़ता है। कई मामलों में, ग्रामीण-शहरी प्रवासी अनौपचारिक बस्तियों में पहुंच जाते हैं जो स्वयं जलवायु जोखिमों के संपर्क में होती हैं, जिससे उनकी भेद्यता बनी रहती है।

4. क्षेत्रीय हॉटस्पॉट एशिया और प्रशांत: चक्रवातों, मानसून और बाढ़ के संपर्क में आने के कारण एशिया में हर साल सबसे अधिक संख्या में आपदा-प्रेरित विस्थापन होते हैं। प्रशांत द्वीप समूह बढ़ते समुद्र के कारण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं, जिससे पूरे देश निर्जन हो सकते हैं। अफ्रीका का हॉर्न और साहेल क्षेत्र लगातार सूखे, मरुस्थलीकरण और फसल विफलताओं का सामना करते हैं। प्रवास के पैटर्न जटिल हैं, जिनमें अक्सर खानाबदोश चरवाहे, ग्रामीण किसान और जलवायु खतरों और सशस्त्र संघर्ष दोनों से विस्थापित समुदाय शामिल होते हैं। मध्य अमेरिका में, लंबे समय तक सूखा जिसे स्थानीय रूप से एल कोरिडोर सेको कहा जाता है। खाद्य असुरक्षा और उत्तर की ओर पलायन को बढ़ावा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैटरीना, हार्वे और मारिया जैसे तूफानों ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च आय वाले देश भी इससे अछूते नहीं हैं।

जलवायु विस्थापन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव

5. विस्थापित आबादी पर प्रभाव: विस्थापित व्यक्तियों को घर, आजीविका और ज़मीन का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके साथ अक्सर बेरोज़गारी, गरीबी और मनोवैज्ञानिक संकट भी जुड़ा होता है। महिलाएं, बच्चे और मूल निवासी आबादी असमान रूप से प्रभावित होती हैं, और शोषण तथा सांस्कृतिक क्षति के बढ़ते जोखिम का सामना करती हैं।

6. प्रवासियों के आगमन वाले क्षेत्रों पर प्रभाव: बड़ी संख्या में प्रवासियों को प्राप्त करने वाले क्षेत्र अक्सर शहर सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और आवास बाज़ारों पर दबाव का अनुभव करते हैं। हालांकि प्रवासन श्रम आपूर्ति का विस्तार करके आर्थिक लाभ ला सकता है, लेकिन खराब प्रबंधन वाला अंतर्वाह स्थानीय संसाधनों पर दबाव डाल सकता है और सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है।

7. सांस्कृतिक और अस्तित्वगत आयाम: मूल निवासी और द्वीप समुदायों के लिए, विस्थापन सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए ख़तरा है। किरिबाती या मालदीव जैसे देशों के लिए, पैतृक भूमि खोने की संभावना पहचान, संप्रभुता और राष्ट्रीयता बनाए रखने के अधिकार के बारे में गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है।

8. कानूनी और नीतिगत चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय कानून में कमियां, 1951 का शरणार्थी सम्मेलन विशिष्ट कारणों से उत्पीड़न से भाग रहे लोगों की रक्षा करता है। पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण नहीं। परिणामस्वरूप, जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित व्यक्ति मौजूदा अंतरराष्ट्रीय ढांचों के तहत शरणार्थी के रूप में योग्य नहीं हैं। कुछ लोगों ने इस सम्मेलन में संशोधन की वकालत की है, जबकि अन्य जलवायु परिवर्तन के अनुरूप एक नए वैश्विक समझौते की वकालत करते हैं।

9. मानवाधिकार संबंधी विचार: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के 2020 के फैसले में सुझाव दिया गया था कि ऐसे देशों में लोगों को वापस भेजना जहाँ जलवायु परिवर्तन उनके जीवन के लिए खतरा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन हो सकता है। हालाँकि यह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।

10. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण: कुछ देशों ने मानवीय वीज़ा, श्रमिक गतिशीलता योजनाओं या अस्थायी सुरक्षा उपायों का परीक्षण किया है। उदाहरण के लिए न्यूज़ीलैंड और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने समुद्र-स्तर में वृद्धि से प्रभावित लोगों के लिए गतिशीलता के रास्ते तलाशे हैं। कई देश बड़ी आपदाओं के बाद अस्थायी संरक्षित स्थिति TPS का उपयोग करते हैं। योजनाबद्ध पुनर्वास पहल उभर रही हैं, हालांकि वे प्राय: विवादास्पद होती हैं तथा उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना कठिन होता है।

नीतिगत समाधान और भविष्य की दिशाएं

11. जलवायु अनुकूलन और लचीलापन: पूर्व-चेतावनी प्रणालियों, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे, टिकाऊ कृषि और तटीय सुरक्षा में निवेश से जबरन विस्थापन को कम किया जा सकता है। अनुकूलन अक्सर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की तुलना में कहीं कम खर्चीला होता है।

12. कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करना विकल्पों में शामिल हैं जलवायु गतिशीलता को मान्यता देने वाला एक नया अंतर्राष्ट्रीय साधन बनाना शरणार्थी या संरक्षित व्यक्तियों की परिभाषाओं का विस्तार करना क्षेत्रीय समझौतों को मज़बूत करना, विशेष रूप से प्रशांत, अफ्रीका और अमेरिका में नियोजित पुनर्वास और समुदाय- आधारित दृष्टिकोण ऐसे मामलों में जहां स्थानीय अनुकूलन असंभव है, नियोजित पुनर्वास समुदाय-संचालित, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होना चाहिए। पिछले उदाहरण बताते हैं कि खराब तरीके से प्रबंधित पुनर्वास दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकता है। जलवायु प्रवासन समानता और उत्तरदायित्व के प्रश्न उठाता है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित समुदाय अक्सर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार होते हैं। विकसित देश जलवायु न्याय के सिद्धांतों के तहत वित्तीय सहायता, उत्सर्जन में कमी और प्रवासन मार्गों के लिए दायित्व वहन कर सकते हैं।जलवायु शरणार्थी 21वीं सदी की सबसे गंभीर मानवीय और राजनीतिक चुनौतियों में से एक हैं। जैसे-जैसे जलवायु प्रभाव तीव्र होते जाएंगे, लाखों और लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा, अक्सर सीमित कानूनी सुरक्षा और प्रवास के कुछ ही सुरक्षित विकल्पों के साथ। आपदा-जनित प्रवासन से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें जलवायु अनुकूलन, मानवाधिकार संरक्षण, कानूनी सुधार और वैश्विक सहयोग शामिल हों। जलवायु परिवर्तन को एक तात्कालिक वास्तविकता और सक्रिय नीतिगत नवाचार के अवसर के रूप में पहचान कर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संवेदनशील आबादी की बेहतर सुरक्षा कर सकता है और एक अधिक न्यायसंगत एवं लचीले भविष्य को बढ़ावा दे सकता है। जलवायु शरणार्थी और आपदा-जनित प्रवासी 21वीं सदी की सबसे गंभीर और जटिल चुनौतियों में से एक हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक होने वाली आपदाओं और धीमी गति से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण में तेज़ी आ रही है, जिससे लाखों लोग अपने घरों, आजीविका और पैतृक भूमि से विस्थापित हो रहे हैं। यह विस्थापन न केवल एक पर्यावरणीय समस्या है, बल्कि एक बहुआयामी संकट भी है जो मानवाधिकारों, आर्थिक विकास, जन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक समता से जुड़ा है। समस्या के व्यापक होने के बावजूद, मौजूदा कानूनी ढांचे अपर्याप्त बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून विस्थापन के जलवायु-संबंधी कारणों को मान्यता नहीं देता, जिससे प्रभावित आबादी उत्पीड़न या संघर्ष से भागने वालों को मिलने वाली सुरक्षा से वंचित रह जाती है। साथ ही, सबसे ज़्यादा बोझ उन समुदायों और देशों पर पड़ता है जिन्होंने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है, जो जलवायु गतिशीलता के गहरे नैतिक और न्यायोचित आयामों को रेखांकित करता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अनुकूलन और लचीलेपन को मज़बूत करना, विस्थापित व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा का विस्तार करना, मानवीय गतिशीलता के रास्ते बनाना और समुदाय-नेतृत्व वाले पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करना आवश्यक कदम हैं। साझा वैश्विक ज़िम्मेदारी को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर उच्च उत्सर्जन वाले देशों के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के माध्यम से कमज़ोर आबादी का समर्थन करना। अंततः, जलवायु शरणार्थियों का भाग्य इस बात का पैमाना होगा कि दुनिया उभरते जलवायु संकट पर कितनी प्रभावी प्रतिक्रिया देती है। आज सक्रिय, न्यायसंगत और सहयोगात्मक कार्रवाई भविष्य की मानवीय आपात स्थितियों को रोक सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण विस्थापित होने को मजबूर लोगों के साथ सम्मान, न्याय और सुरक्षा का व्यवहार किया जाए।

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना से बनेगा करसोग की 12 महिलाओं का आशियाना

वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और समान अवसरों की दिशा में राज्य सरकार निरंतर सार्थक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना राज्य की उन महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आयी है, जो विषम परिस्थितियों में अकेले जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। राज्य सरकार उन्हें घर बनाने के लिए तीन लाख रुपए की मदद दे रही है।

योजना का उद्देश्य विधवा एवं एकल नारियों को को आवास सुविधा प्रदान करना है। विधवा या 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की ऐसी अविवाहित अथवा परित्यक्त महिलाएं जिनके पास रहने योग्य घर नहीं है, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त, वे महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र हैं जिनके पति पिछले सात वर्षों से लापता हैं। राज्य सरकार ऐसी पात्र लाभार्थी महिलाओं को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता गृह निर्माण के लिए उपलब्ध करवाती है, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्रता सुनिश्चित होने के बाद लाभार्थियों को तीन लाख रुपए की राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त में 1. 50 लाख रुपये और शेष राशि घर के छत स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात दूसरी किस्त के रूप में प्रदान की जाती है।

मंडी जिला के करसोग उपमंडल की 12 पात्र महिलाओं को योजना के अन्तर्गत घर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कुल 36 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक महिला लाभार्थी को तीन-तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1.50 लाख रुपये की राशि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में अपने करसोग दौरे के दौरान इन पात्र महिलाओं को प्रदान की गई है। इस पहल से न केवल इन महिलाओं के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना जगी है, बल्कि इन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सशक्त कदम आगे बढ़ाये हैं।

लाभार्थी महिलाओं में अनिता कुमारी (सालना), सुनीता देवी (कोट), रिशा देवी (खोलतू), प्रेमी देवी (रेहा), सपना देवी (स्नेच), चंद्रावती (दगाव), रीमा देवी (डोबा), खेमदासीं (नेहरा), प्रेम कली (ममेल), कल्पना (घाड़ी), कल्लू देवी (बेलर) और डुली देवी (चलाहणी) शामिल हैं। इन सभी को गृह निर्माण के लिये मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच से शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य समाज के वंचित वर्ग तक विकास की किरण पहुंचाना है। विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, सरकार की प्राथमिकता है। विधवा एवं एकल नारी आवास योजना इसी दृष्टि से एक सशक्त पहल है, ताकि लाभार्थी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

इस योजना की लाभार्थी महिलाओं ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि राज्य सरकार उनके जीवन की विकट परिस्थितियों को इतनी गंभीरता से समझेगी। अनिता कुमारी ने कहा कि अब उन्हें, अपने व बच्चों के लिए पक्का घर होने का सपना साकार होता दिख रहा है। सुनीता देवी ने कहा कि यह योजना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी है। प्रेमी देवी व रिशा देवी ने कहा कि अब उन्हें, अपने सिर पर स्थायी छत का भरोसा मिला है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और राज्य सरकार की आभारी हैं।

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना समाज के प्रति राज्य सरकार की जिम्मेदारी, संवेदना और प्रतिबद्धता का भी जीवंत उदाहरण है। यह योजना इन महिलाओं के जीवन में उजाला भर रही है। इससे न केवल उन्हें एक अदद छत प्राप्त हुई है, बल्कि जीवन जीने का आत्मविश्वास भी जगा है। राज्य सरकार का यह प्रयास केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदना और सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है।

मंत्रिमंडल के निर्णय – आपदा राहत बढ़ी, स्वास्थ्य – शिक्षा में बड़े कदम

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के तहत मिलने

वाली राशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। आगजनी की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष सहायता पैकेज भी स्वीकृत किया गया।

राज्य में आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 4.32 करोड़ रुपये की राशि वायुसेना को मंजूर की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया।

मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण परिवारों की सहूलियत बढ़ाई जाएगी। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर रोगी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों के सृजन और भरने को हरी झंडी दी।

सोलन के कंडाघाट और सिरमौर के राजगढ़ में उप – अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के साथ 46 पदों के सृजन तथा चार नए फायर टेंडर खरीदने की अनुमति दी गई।

पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पदों और धर्मशाला स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

डॉ.राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन तथा 73 नए पदों को मंजूरी दी गई।

टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु 27 सीनियर रेजिडेंट पदों के सृजन को स्वीकृति मिली।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस पोस्ट खोलने और आवश्यक पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैन्शन प्रदान करने की घोषणा की। दिव्यांगजन के अभिभावक यदि सरकारी या अर्ध- सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनसे संबंधित पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना – 2023 के तहत 1000 पेट्रोल/डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी मंजूर की गई।

एंटी – नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एकीकृत एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया। पंचायत स्तर पर एंटी – चिट्टा अभियान चलाने की भी मंजूरी दी गई।

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग हेतु दस इलेक्ट्रिक बाइकों की खरीद को स्वीकृति दी गई।

कांगड़ा जिले में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को अलग कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाया जाएगा।

वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तारित किया गया है। एनपीए घोषित छोटे दुकानदारों को एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।

हमीरपुर जिला के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा, साथ ही एकीकृत बीएससी – बीएड कार्यक्रम की एक यूनिट शुरू की जाएगी।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) हमीरपुर और (छात्रा) हमीरपुर को अगले शैक्षणिक सत्र से सह – शैक्षणिक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा।

धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और शिमला जिले के टिक्कर स्थित महाविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। शिमला के सरस्वती नगर कॉलेज में दो वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम तथा लोहराब फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय शुरू करने का निर्णय लिया गया।

कांगड़ा के हरिपुर गुलेर कॉलेज को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में बदलने की भी स्वीकृति मिली।

सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यो की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री और श्री श्री रविशंकर ने शीतला माता मंदिर में की पूजा

प्रदेश में ऑस्टियोपैथी कॉलेज स्थापित करने की इच्छा व्यक्त

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पालमपुर के निकट गुजरेहड़ा स्थित पंजपीरी शीतला

माता मंदिर में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के साथ पूजा – अर्चना की और नव – निर्मित मंदिर में दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने श्री श्री रविशंकर के सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह वैश्विक स्तर पर शांति, सद्भावना और मानवीय मूल्यों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को 'देवभूमि' की पहचान बनाये रखने और पर्यटन विस्तार के लिए सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कर रही है। उन्होंने गुजरेहड़ा संपर्क मार्ग को पक्का करने की घोषणा भी की ताकि आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायियों को आवागमन में सुविधा हो सके।

श्री श्री रविशंकर ने बताया कि उनका संगठन हिमाचल प्रदेश में एक ऑस्टियोपैथी कॉलेज स्थापित करने के लिए उत्सुक है, जिससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक उपचार पद्धति का प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने साधना और आंतरिक शांति के महत्व पर बल दिया।

पालमपुर हेलीपोर्ट का शिलान्यास, अप्रैल तक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होंगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को 19.77 करोड़ रुपये की लागत से बनने

वाले पालमपुर हेलीपोर्ट की आधारशिला रखी। हेलीपोर्ट में यात्री टर्मिनल भवन, फायर स्टेशन, उपयोगिता भवन तथा यात्रियों के लिये आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद चंडीगढ़ और शिमला के लिए किफायती हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पालमपुर में पर्यटन गांव विकसित करने की योजना कुछ लोगों द्वारा अदालत में रोक लगवाने के कारण लंबित है, परन्तु राज्य सरकार बाधाएं दूर करने का प्रयास कर रही है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक उपकरण स्थापित करने व स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विधायक आशीष बुटेल ने जानकारी दी कि क्षेत्र को लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात जल्द मिलेगी। कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हिमाचल में किसानों को पौधारोपण से जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन, 50 हजार से अधिक किसान होंगे लाभान्वित

शिमला/शैल। किसानों को पौधारोपण से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश वन विभाग

ने सिंगापुर की कंपनी प्रोक्लाइम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार की ओर से एमओयू पर वन बल मुख्य डॉ. संजय सूद और कंपनी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन कुमार कंदसामी ने हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना जलवायु संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनेगी। इस योजना से प्रदेश के 50 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना के तहत किसानों की भूमि और खेतों की मेड़ों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे।

उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को पौधारोपण के लिए आर्थिक सहायता सहित सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को पांच वर्ष बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा और कंपनी के मुनाफे का 30 प्रतिशत हिस्सा सीधे किसानों को दिया जाएगा। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिससे प्रदेश का हरित आवरण बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

परियोजना से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, भूमि कटाव कम करने, जैव विविधता बढ़ाने और किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील सिंगला, प्रोक्लाइम कंपनी के तकनीकी निदेशक सम्राट सेन गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन वर्षों में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 26 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 26,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व एकत्र किया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राजस्व संग्रह निरंतर बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 – 24 में 10,248.56 करोड़ रुपये और 2024 – 25 में 10,880.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2025 – 26 में सितम्बर 2025 तक 5,536.30 करोड़ रुपये एकत्रित किये जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सुधारों और बेहतर अनुपालन के चलते जीएसटी, एक्साइज, वैट और अन्य करों से प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आबकारी राजस्व 2022 – 23 के 2,147.04 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 – 25 में 2,776.41 करोड़ रुपये पहुंच गया। नीलामी – कम – टेंडर प्रणाली, मिल्क सेस, नेचुरल फार्मिंग सेस और डब्ल्यूडीए सेस से अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। मिल्क सेस से 2023 – 24 में 144.84 करोड़ रुपये और 2024 – 25 में 141.92 करोड़ रुपये मिले। नेचुरल फार्मिंग सेस से 24.62 करोड़ रुपये का राजस्व आया है।

प्रवक्ता ने बताया कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार हेतु अप्रैल 2023 से पास और परमिट पूरी तरह ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। विभाग में प्रशासनिक पुनर्गठन, नया ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू करने से करदाता सेवाओं में सुधार आया है।

उन्होंने कहा कि सुधारों की यह श्रृंखला जन – कल्याण और पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नशा–निवारण को लेकर सरकारी क्षेत्र में बेहतर पुनर्वास और उपचार सुविधाएं स्थापित की जायें :जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते नशे और निजी पुनर्वास केंद्रों की अव्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार की लड़ाई सिर्फ हैडलाइन और इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित रह गई है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार शिमला जिले की 412 में से 265 पंचायतें नशे की चपेट में आ चुकी हैं, जिनमें से 145 पंचायतें गंभीर श्रेणी में हैं। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी पुष्टि हाल में सामने आये मामलों से होती है। कांगड़ा में एक मां को बेटे के नशे की लत के कारण खुद जेल जाना पड़ा और चिट्टे की वजह से तीन पीढ़ियों का तबाह होना भी उजागर हुआ।

उन्होंने पिछले सप्ताह नशा निवारण केंद्र में एक व्यक्ति की कथित पिटाई से मौत के मामले को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह घटना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों में 102 पंजीकृत निजी पुनर्वास केंद्र हैं, जिनमें से 40 को बंद किया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई केंद्रों में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार और अमानवीय बर्ताव होता है। कुछ केंद्र इसलिए बंद हुए क्योंकि वे न तो दवा का सही उपयोग कर रहे थे और न ही मरीजों को डॉक्टरों के पास ले जाते थे।

उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था कमजोर होने के कारण लोग महंगे निजी केंद्रों में जाने को मजबूर हैं, जहां प्रति माह 25 हजार रुपये तक खर्च आता है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश के छः मेडिकल कॉलेजों में नशा–निवारण के लिए एक भी डेडिकेटेड पुनर्वास वार्ड नहीं है। मनोचिकित्सा विभागों में बेड बढ़ाने को लेकर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि नशे से लड़ने वालों के पास विकल्प सीमित हैं, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनमें इलाज पर खर्च करने की आर्थिक क्षमता नहीं है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई समाज ने खुद उठाई है, कई माताओं ने अपने बच्चों को पुलिस के सामने सरेंडर किया है, लेकिन सरकार इस लड़ाई में उतनी सक्रिय नहीं दिख रही।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सरकारी क्षेत्र में बेहतर पुनर्वास और उपचार सुविधाएं स्थापित की जाएं ताकि नशे से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले युवाओं को सही उपचार मिल सके।

नेता विपक्ष द्वारा बिजली मित्र योजना पर की गई टिप्पणी बेबुनियाद: राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा 'बिजली मित्र' योजना पर की गई टिप्पणी को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया है। शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही 'कृषि मित्र' और 'पशु सखी' जैसी नियुक्तियां शुरू की गई थीं, जिनके मानदेय और नीति को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रहीं। ऐसे में भाजपा नेताओं का आज 'बिजली मित्र' योजना पर सवाल उठाना समझ से परे है।

राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान सरकार 'बिजली मित्रों' को नियमित वेतन पर नियुक्त कर रही है और उनके मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्र रखने का लक्ष्य है, जिसके लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास के साथ आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड की योग्यता आवश्यक है। इन्हें छह घंटे की ड्यूटी के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। वहीं कृषि मित्रों के लिये ऐसी कोई शैक्षणिक पात्रता निर्धारित नहीं थी।

मंत्री ने भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि चार वर्ष की अल्पकालिक सैन्य सेवा के बाद युवाओं को बिना किसी सुरक्षा लाभ के घर भेज दिया जाता है, जिससे उनका भविष्य अस्थिर होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने युवाओं का शोषण किया तथा शिक्षा, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में मात्र 4,500 रुपये मानदेय पर मल्टी–टास्क वर्कर्स नियुक्त किए, जिनका मानदेय वर्तमान सरकार ने बढ़ाया है।

धर्माणी ने कहा कि विपक्षी नेता प्रदेश हित के मुद्दों पर गंभीर होने के बजाये मीडिया में बने रहने के लिए निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याण और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है।

शिमला में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य यूनिटी मार्च आयोजित

शिमला/शैल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शिमला में यूनिटी मार्च निकाला गया। यह मार्च ढली से शुरू होकर रिज मैदान होते हुए अंबेडकर चौक, चौड़ा मैदान तक पहुँचा। कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसमें शिमला भाजपा तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने सहयोग दिया। सांसद सुरेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक नेतृत्व के कारण ही आज़ादी के बाद 550 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में आकार दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत आज एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा है, और इसकी बुनियाद सरदार पटेल की दूरदर्शिता ने रखी।

कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में सरदार पटेल के दृष्टिकोण, विचारों और संदेशों को साकार करने का कार्य किया है तथा 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देश की जनता ने भी अपनाया है और इसके लिए सभी एकजुट हो रहे हैं।

यूनिटी मार्च में एनसीसी, एनएसएस, तथा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र–छात्राओं ने तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया।

उप–मुख्य सचेतक की अध्यक्षता में हिमुडा की समीक्षा बैठक, सैटेलाइट सिटी परियोजना पर हुई चर्चा

शिमला/शैल। उप–मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्रीय विकास, भू–सुरक्षा और प्राधिकरण की आगामी परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में उप–मुख्य सचेतक ने बताया कि भू–विज्ञान कमेटी द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में धर्मशाला क्षेत्र को भूकंप जोन–5 में रखा गया है। इसी कारण समिति ने क्षेत्र में नये निर्माण कार्यों को रोकने की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि हिमुडा लंज और रानीताल के बीच एक सैटेलाइट सिटी विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि परियोजना के दौरान किसी भी व्यक्ति को विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उप–मुख्य सचेतक ने कहा कि सैटेलाइट सिटी स्थापित होने से न केवल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र वशिष्ट सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सतत पर्यटन और वेलनेस पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव धर्मशाला में 16वें ITHC अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 16वें इंडियन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस (ITHC) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन यहां सोमवार को हुआ। 'सस्टेनेबल टूरिज़्म एंड वेलनेस: ए पाथ टू ए ग्रीनर फ्यूचर' विषय पर आधारित इस सम्मेलन में देश–विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने सतत पर्यटन, जलवायु परिवर्तन एवं वेलनेस के बढ़ते महत्व पर अपने विचार साझा किये।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ITHC के वरिष्ठ सदस्य संदीप कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सतत पर्यटन आज वैश्विक आवश्यकता बन गया है और यह सम्मेलन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगा। ITHC के कोषाध्यक्ष प्रो. प्रशांत गौतम ने बताया कि देश के 130 से अधिक संस्थान संगठन से जुड़े हैं, जिनमें 700 से ज्यादा सदस्य सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

ब्रिटेन के संडरलैंड विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता ब्लर्टन ह्यसेनी ने कहा कि पर्यटन को सतत बनाने के लिए देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान बेहद जरूरी है। उन्होंने सेंटरल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और संडरलैंड विश्वविद्यालय के बीच हुए एमओयू को ज्ञान–साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के डॉ. सुनील काबिया ने युवाओं को 'धरती के संरक्षक' बताते हुए कहा कि पर्यटन का विकास जलवायु परिवर्तन की वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने चेताया कि पर्यटन हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण बढ़ा रहा है और कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती बन चुका है। उन्होंने पर्यावरण–अनुकूल यात्रा और जिम्मेदार नवाचार को समय की मांग बताया।

विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश कुमार ने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में निहित पर्यावरण–संरक्षण मूल्यों का उल्लेख करते हुए अनुभव–आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां मानव–निर्मित हैं और हिमाचल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण–अनुकूल अवसंरचना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुलपति एवं ITHC अध्यक्ष प्रो. सतप्रकाश बंसल ने कहा कि देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थल अपनी वहन क्षमता से अधिक भार झेल रहे हैं। ऐसे में ऑफबीट गंतव्यों का विकास न केवल पर्यटन का दबाव कम करेगा, बल्कि स्थानीय संस्कृति और समुदायों को भी नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने शोधार्थियों से विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप नवोन्मेषी शोध करने की अपील की।

सतत पर्यटन, वेलनेस और वैश्विक साझेदारी पर केंद्रित यह उद्घाटन सत्र इस बात का संदेश देता है कि पर्यटन विकास तभी सार्थक है जब उसमें प्रकृति, संस्कृति और समुदायों के हितों का संतुलित समावेश हो।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष व्याख्यान आयोजित

शिमला/शैल। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के समापन अवसर पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के सचिव मेहर चंद नेगी के स्वागत संबोधन से हुई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्येता प्रो. रमेश चंद्र सिन्हा ने 'भगवान बिरसा मुंडा के योगदान' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रो. सिन्हा ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, औपनिवेशिक दमन के खिलाफ उनके आंदोलन और आदिवासी समाज में चेतना के पुनर्जागरण में उनकी भूमिका को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की जन–चेतना में प्रेरक शक्ति के रूप में आज भी प्रासंगिक हैं।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्येता प्रो. सचिदानंद मोहंती सहित संस्थान के अध्येता, अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संचालन एवं धन्यवाद प्रस्ताव जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अखिलेश पाठक ने प्रस्तुत किया। आयोजन का सीधा प्रसारण सिस्को वेबेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भी किया गया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस सरकार के खिलाफ 4 दिसम्बर को भाजपा का धर्मशाला में विशाल प्रदर्शन

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार को 'मूर्छित' और 'निकम्मी' करार दिया है। भाजपा ने 4 दिसम्बर को धर्मशाला में सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार मूर्छित अवस्था में है और तीन साल के कार्यकाल में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों से किये वायदे पूरे नहीं किये तथा राज्य आर्थिक संकट में फंस गया है।

बिंदल ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था बिगड़ी है, रोजगार सृजन ठप है और पिछले तीन वर्षों में विकास कार्यों को जानबूझकर रोका गया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार का जश्न मनाना जनता के साथ अन्याय है। भाजपा 4 दिसम्बर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन आयोजित करेगी। इसके लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार को प्रभारी बनाया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे जश्न को जनभावनाओं के विपरीत करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में आपदा राहत की स्थिति के बीच जश्न मनाना जनता की पीड़ा की अनदेखी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान में डिज़ास्टर एक्ट के तहत कार्य कर रहा है और राज्य सरकार इसी आधार पर पंचायत चुनाव स्थगित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं, सड़कों की हालत खराब है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं चरमराई हुई हैं, और वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि 10,000 रुपए से अधिक के भुगतान ट्रेजरी में अटके पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि

कर्मचारियों की पैन्शन और वेतन समय पर जारी नहीं हो रहे, मेडिकल रीइंबर्समेंट विशेषकर बुजुर्गों के लिए बाधित है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आउटसोर्स कर्मचारियों को एक-एक कर हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 15,000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर उपलब्धियों के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तीन वर्ष पूरे होने पर भी ऐसी कोई योजना नहीं बता पा रही जो जनता में लोकप्रिय हो। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की हिम केयर, सहारा, स्वावलंबन, गृहिणी सुविधा, शगुन और जन मंच जैसी योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया, जबकि इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिलता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार न केवल नई योजनाएं लाने में विफल रही है, बल्कि पुरानी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से चालू नहीं रख पा रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कड़ी सीख देगी। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने बिहार चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस का प्रदर्शन उससे भी कमजोर रहेगा, और अगले चुनाव में कांग्रेस को जनता ऑल्टो कार में फिट कर देगी।

राज्यपाल निवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन नियमों के विपरीत:भाजपा

शिमला/शैल। राज्यपाल निवास के बाहर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गये प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गयी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस प्रदर्शन को कानून और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि उच्च सुरक्षा क्षेत्र में बिना अनुमति प्रदर्शन करना नियमों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया गया।

भाजपा द्वारा जारी ब्यान में कहा गया है कि यह कदम राज्यपाल पर दबाव बनाने का प्रयास प्रतीत होता है। बिंदल के अनुसार, पंचायती राज चुनावों को लेकर सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच जारी मतभेदों ने स्थिति को जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से भेंट कर मौजूदा परिस्थितियों से अवगत करवाया है।

भाजपा का आरोप है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव डाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। पार्टी ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री के विरुद्ध कथित अभद्र टिप्पणियों और पुतला दहन की निंदा की है और सरकार से कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

उधर, कांग्रेस की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आयी है।

राज्य में पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी।

शिक्षा बोर्ड द्वारा बाल दिवस पर प्रकाशित पुस्तिका को लेकर विपक्ष ने किए सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा बाल दिवस पर प्रकाशित पुस्तिका को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुस्तिका की सामग्री और प्रकाशन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुस्तिका में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के संदेश प्रकाशित किए गए हैं, जबकि शिक्षा से संबंधित अधिकारियों या मंत्री का संदेश इसमें शामिल नहीं है।

जारी बयान में ठाकुर ने कहा कि 72 पृष्ठों की इस पुस्तिका में 40 पृष्ठ शुभकामना संदेशों के लिए उपयोग किए गए हैं और यह सार्वजनिक संसाधनों का अनुचित उपयोग प्रतीत होता है। उनका दावा है कि पुस्तिका में लेखकों के नाम का उल्लेख नहीं है और कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों जैसे महात्मा गांधी और सरदार पटेल का उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 2,000 शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है और शिक्षक मूल्यांकन व परीक्षा भत्ते लंबे समय से लंबित हैं। उनका कहना है कि शिक्षा संसाधनों का उपयोग छात्रों और शिक्षकों के हित में किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए।

विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगारमुखी दिशा में ले जाया जाये और कौशल विकास कार्यक्रमों को पुनः शुरू किया जाये। उन्होंने नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने की भी वकालत की।

उधर, इस मामले पर सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आयी है।

शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर आगामी दिनों में राजनीतिक ब्यानबाजी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।